संयुक्त निदेशक का कार्यालय
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना ।

भाडे पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आामंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-01/ 2026-27

पत्रांक-बा०प्र०सु०स०के०-(MMC)-35/2023- 424 पटना, दिनांक-29 /04/2026

बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के दैनिक (दिन-रात) परिचालन ए०सी० स्कॉर्पियों मासिक दर (अवकाश/शनिवार/रविवार सहित) पर सभी कर सहित का मुहर बंद कोटेशन, शर्तो के अनुरूप आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. कोटेशनकर्त्ता	बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना ।
2. कोटेशन प्राप्ति स्थान :-	बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, ब्लॉक_ए०, दूसरा तल्ला, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना ।
3. कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि:-	दिनांक-19/05/2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक ।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :-	दिनांक-19/05/2026 को 03:30 बजे अपराह्न में ।

कोटेशन की शर्तें

1. कोटेशनदाता Travel Agency/Firms के रूप में प्राधिकृत संस्थानों से निबंधित हों । व्यक्तिगत रूप से वाहन मालिक भी इस कोटेशन में भाग ले सकते हैं, जिनके पास वैध PAN एवं GST नं० उपलब्ध हो ।
2. वाहन अधिकतम पांच साल से अधिक पुरानी नहीं हो तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु निबंधित हो ।
3. वाहन के किराये का दर सभी कर सहित जिला प्रशासन पटना एवं पंचायती राज विभाग, पटना के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नही होगा ।
4. वाहन का किराया ईधन रहित एवं चालक सहित तथा सभी कर सहित मासिक दर (अवकाश/शनिवार/रविवार सहित) उद्धृत करेंगे ।
5. वाहन का रख-रखाव, साफ-सफाई वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा तथा हमेशा चालू अवस्था में रखने की वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी । वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता की होगी ।
6. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता को स्वयं करना होगा । विभाग द्वारा किसी प्रकार से कर का भुगतान देय नहीं होगा ।
7. भाड़े के वाहन के रख-रखाव एवं चालक के भुगतान का दायित्व वाहन मालिक का होगा एवं चालक के पास सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा, जिसे वाहन चलाने के दौरान अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा ।
8. वाहन से संबंधित सभी कागजात यथा निबंधन टैक्स, बीमा कागजात आदि मोटर यान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होनी चाहिए । साथ हीं इसकी देयता की जिम्मेवारी पूर्णतया वाहन मालिक की होगी ।

9. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक को तुरंत वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा ।
10. भाड़े पर लिए गए वाहन की अवधि एकरारनामा की तिथि से दिनांक-31/03/2027 तक के लिए ली जाएगी तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जाएगा ।
11. संतोषजनक सेवा नहीं रहने की स्थिति में किसी भी समय एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है।
12. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी वाहन से संबंधित सभी कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ दिनांक-19/06/2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं ।
13. एकरारनामा के पूर्व वाहन मालिक/एजेन्सी को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि :-
    i. जो भी ड्राईवर गाड़ी से संलग्न रहेगा के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस है ।
    ii. जिस गाड़ी की भी सेवा दी जाएगी, उस पर किसी प्रकार का पुलिस या न्यायालय में कोई ममला लंबित नही है ।
    iii. एकरारित अवधि में किसी दूसरे फर्म को एकरारित वाहन के विरूद्ध कोई विपत्र नहीं देना होगा और न हीं भुगतान प्राप्त करना होगा ।
14. सशर्त्त कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी । अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
15. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय पटना से बाहर जा सकता है ।

किसी भी विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है ।

J.Singh

29/05/26

संयुक्त निदेशक
बा०प्र०सु०स०कें०, पटना ।